राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.7(220)डीएमई / एकेड / 2021 जयपुर, दिनांकः 9 FEB 2022

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
जयपुर।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 21 की क्रियान्विति में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेडिसिन एण्ड वायरोलोजी की स्थापना के लिए पद सृजन के संबंध में।

संन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 26460 दिनांक 08.12.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि मा. मुख्यमंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 21 की क्रियान्विति में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेडिसिन एण्ड वायरोलोजी की स्थापना किये जाने हेतु निम्नानुसार ट्रोपिकल मेडिसिन हेतु 11 एवं वायरोलोजी विभाग हेतु 11, कुल 22 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति एत्द द्वारा प्रदान की जाती हैः–

विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या
Tropical Medicine	आचार्य	01
	सह आचार्य	01
	सहायक आचार्य	01
	सीनियर रेजिडेन्ट	02
	जूनियर रेजिडेन्ट	02
	नर्स ग्रेड–2	04
योग		11
Virology	आचार्य	01
	सह आचार्य	01
	सहायक आचार्य	01
	सीनियर रेजिडेन्ट	02
	जूनियर रेजिडेन्ट	02
	नर्स ग्रेड–2	04
योग		11
कुल योग		22

शर्तें–

1. उक्त पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रभावी होगा।
2. उक्त पदों पर कार्मिकों की नियुक्तियां राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962 में विहित प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152101112 दिनांक 20.01.2022 एवं आई.डी. संख्या 152200107 दिनांक 07.02.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(इकबाल खान)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा—I), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय—1/बजट) विभाग।
5. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालयं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
10. अनुभागाधिकारी (एस), चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव